न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थीगण		विप्रार्थीगण
1. निम्बाराम पुत्र भीखाराम 2. सोनाराम पुत्र भीखाराम 3. हीराराम पुत्र भीखाराम 4. पूनमाराम पुत्र भीखाराम जाति जाट निवासी तरडो का तला नवातला बाखासर तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर।	बनाम	1. करनाराम पुत्र पीराराम 2. पीराराम पुत्र [illegible] 3. हनुमानाराम 4. पूनमाराम पि. नवलाराम 5. डूंगराराम 6. तेजाराम 7. [illegible] 8. लाला[illegible] 9. पूनमाराम पि. चैनाराम जाति जाट निवासी तरडों का तला नवातला राठौड़ान तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर। 10. खेतराराम 11. [illegible] पि. [illegible]माराम जाति जाट 12. नेनूदेवी पत्नी पीराराम 13. चीमाराम 14. [illegible]लाराम 15. [illegible]राम 16. नारणाराम पि. भोमाराम 17. हनुमानराम पुत्र खेताराम [illegible] सायबाराम पुत्र [illegible]राम 19. खेताराम 20. नेनाराम 21. बांकाराम पुत्र जे[illegible] 22. मघ[illegible]राम 23. उमाराम 24. तोगाराम पि. भोमाराम 25. रूखमों पत्नी भो[illegible] 26. पून[illegible]राम 27. नारणाराम पि. भीखाराम 28. कुसाराम 29. राउराम पि. मघा[illegible] 30. सम[illegible] पत्नी मघाराम 31. अणछी पुत्री कानाराम 32. पपू पुत्री कानाराम [illegible] तीजों पत्नी अचलाराम 35. हनुमानराम 36. नारणाराम 37. श्रवण[illegible] पि. [illegible]माराम जाति जाट निवासी तरडों का तला नवातला राठौड़ान 38. पीराराम पुत्र [illegible] 39. राजूराम पुत्र देवाराम 40. लालाराम 41. चीमाराम पि. दमाराम 42. [illegible] 43. करन[illegible]राम पि. धर्माराम 44. जोगाराम 45. भोमाराम पि. अर्जनराम 46. [illegible] 47. ही[illegible]राम पि. लाखाराम जाति जाट निवासी तरडों का तला नवात[illegible] तहसील [illegible]।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम [illegible]स्ते नेखमबंदी बाबत्।

राजस्व आवेदन संख्या 103/2020 दिनांक 06.06.2022

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ पटवार क्षेत्र नवातला राठौड़ान भू. अभिलेख निरीक्षक भूणिया के मौजा तरडो का तला के [illegible] खसरा संख्या 1168/1095 रकबा 12.03 बीघा खसरा संख्या 1172/1099 रकबा 14.12 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा संख्या 1163/965 रकबा 61.16 बीघा खसरा संख्या 1166/965 रकबा 05.00 बीघा किस्म बारानी सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

—(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.09.18 10:54:27 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक [illegible].06.2022

क्रमांक/भू.अ./2022/ 565-69

प्रतिलिपि :— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. तहसीलदार धनाऊ।
2. प्रार्थीगण निम्बाराम पुत्र भीखाराम वगैरा।
3. विप्रार्थीगण करनाराम पुत्र पीराराम वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/[illegible]रीमन्ना।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 103/2020 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

निम्बाराम वगैरा बनाम करनाराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी –श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रार्थीगण वकील – नरेश भादु

दिनांक – 06.06.2022

निर्णय

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि में तहसील धनाऊ पटवार क्षेत्र नवातला राठौड़ान भू. अभिलेख निरीक्षक भूणिया के मौजा तरडों का तला के खेत खसरा संख्या 1168/1095 रकबा 12.03 बीघा खसरा संख्या 1172/1099 रकबा 14.12 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा संख्या 1163/965 रकबा 61.16 बीघा खसरा संख्या 1166/965 रकबा 05.00 बीघा किस्म बारानी सोयम स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढे को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार की तहसील धनाऊ पटवार क्षेत्र नवातला राठौड़ान भू. अभिलेख निरीक्षक भूणिया के मौजा तरड़ों का तला के खेत खसरा संख्या 1168/1095 रकबा 12.03 बीघा खसरा संख्या 1172/1099 रकबा 14.12 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा संख्या 1163/965 रकबा 61.16 बीघा खसरा संख्या 1166/965 रकबा 05.00 बीघा किस्म बारानी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो भी दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नही किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार धनाऊ को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसरें की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति मे करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण [illegible] न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2022 को न्यायालय [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.09.18 10:54:27 IST
Reason: SelfAttested

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा